



उत्तर प्रदेश पुलिस

सत्यमेव जयते

गणेशाय नमः

02 08 2019



प्रेस नोट जनपद फतेहगढ़ दिनांक 02.08.2019

अन्तराज्यीय कच्चा बनियान (छैमार) गिरोह के जनपद मथुरा से 25-25 हजार के तथा राजस्थान भरतपुर से 10-10 हजार के 02 पुरुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस मुठभेड में 03 साथियों सहित गिरफ्तार ,मारी मात्रा में असलाह व कारतूस बरामद ।

स्वाट /सर्विलान्स /कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही

श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस अक्षीक्षक फतेहगढ़ डा.अनिल कुमार मिश्र के कुशल निर्देश के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद एंव कन्नौज में हुए जघन्य अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चालये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, श्री त्रिभुवन सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री राजवीर सिंह के नेतृत्व में जनपद फर्रुखाबाद में हो रही की घटनाओं की रोकथाम हेतु निरी.श्री सुरेश कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल व उ.निरी.कुलदीप दीक्षित प्रभारी स्वाट टीम को मय टीम लगाया गया उक्त आदेश के अनुपालन में टीम पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मामूर थी मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद में कुछ संदिग्धों की सूचना पर टीमों ने मोहम्मदाबाद प्र0नि0 के साथ मिलकर सम्भावित स्थान पर बदमाशों की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी जिस पर पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में बदमाश 1- आमिर उर्फ जामिर पुत्र पप्पू उर्फ कलीम निवासी सिढपुरा थाना थाना सिढपुरा कासगंज 2- सलमान पुत्र जाकिर निवासी सिरौली थाना सिरौली जनपद बरेली को पुलिस मुठभेड में घायलावस्था में तथा 3- नासिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी फकीर पूर्वा थाना इन्दरगढ कन्नौज 4-नवीहसन पुत्र नासिर निवासी उपरोक्त 5-वासिद पुत्र हामिद निवासी उसैत थाना उसैत जनपद बदायूं को बेबर फर्रुखाबाद रोड पर मदनपुर से पहले बन्द पढा भट्टा से गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद में मु0अ0स0 293/19 धारा 399/402/307 भादवि पंजीकृत किया गया है अभियुक्तगणों से पूछताछ पर बताया कि हम लोगों द्वारा राजस्थान राज्य के भरतपुर ,अलवर ,धौलपुर व मथुरा में डकैती की घटनायें की थी वहां हम लोगों के कुछ साथी पकड़े गये है जिनकी जमानत कराने के लिए पैसों की आवश्यकता थी तो हम लोग एक दो घटनायें कर कन्नौज में अपना डेरा डालना चाहते थे जब अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में मथुरा पुलिस से सम्पर्क किया गया तो जानकारी हुयी कि अभियुक्त आमिर व सलमान पर 25-25 हजार तथा राजस्थान से 10-10 हजार रुपये का पुरुरस्कार घोषित है तथा अन्य अभियुक्तगण भी राजस्थान से वांछित है जिस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है गिरफ्तार अभियुक्तगणों पर आमिर व सलमान पर करीब दो दर्जन जघन्य अपराधों के मुकदमें विभिन्न राज्यों से है जिसमें 07 हत्या सहित डकैती शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तगण अत्यन्त क्रूर और निर्भीक अपराधी है यह लोग पूर्व में मैनपुरी कासगंज एटा कन्नौज और फर्रुखाबाद से डकैतियों में जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम-

- 1- आमिर उर्फ जामिर पुत्र पप्पू उर्फ कलीम निवासी सिढपुरा थाना थाना सिढपुरा कासगंज। (घायल अवस्था)
- 2- सलमान पुत्र जाकिर निवासी सिरौली थाना सिरौली जनपद बरेली। (घायल अवस्था)
- 3- नासिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी फकीर पूर्वा थाना इन्दरगढ कन्नौज
- 4- नवीहसन पुत्र नासिर निवासी उपरोक्त
- 5- वासिद पुत्र हामिद निवासी उसैत थाना उसैत जनपद बदायूं

वांछित अभियुक्त-

- 1.शाहीन पुत्र विकार नि. सिरौली थाना सिरौली जनपद बरेली।
- 2.मोबीन पुत्र आलमदीन नि.सैदपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं।

बरामदगी-

- 1-01 अदद रायफल देशी 315 बोर।
- 2-03 अदद तमंचा देशी 315 बोर।
- 3-01 अदद तमंचा देशी 12 बोर।
- 4- 08 कारतूस जिन्दा व 09 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
- 5- 02 अदद कारतूस जिन्दा व 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

1- अभियुक्त आमिर का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0स0 722/16 धारा 399/402 भादवि थाना कोतवाली कन्नौज।
- 2- मु0अ0स0 724/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना कोतवाली कन्नौज।
- 3- मु0अ0स0 380/16 धारा 394 भादवि थाना कमालगंज फर्रुखाबाद।
- 4- मु0अ0स0 182/16 धारा 457/380 भादवि थाना कम्पिल फर्रुखाबाद।
- 5- मु0अ0स0 32/16 धारा 394/304 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज।
- 6- मु0अ0स0 131/16 धारा 302 भादवि थाना गंजडुढवारा जनपद कासगंज
- 8- मु0अ0स0 158/16 धारा 382 भादवि थाना गंजडुढवारा जनपद कासगंज







5- वारिद पुत्र हागिद निवारी उसैत थाना उसैत जनपद वदायू

- 1- मु0अ0स10 293/19 धारा 399/402/307 भादवि थाना गोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद।
- 2- मु0अ0स10 295/19 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद।
- 3- मु0अ0स10 330/19 धारा 457/380 भादवि थाना डीग जिला भरतपुर राजस्थान वांछित।
- 4- मु0अ0स10 334/19 धारा 457/380 भादवि थाना डीग जिला भरतपुर राजस्थान वांछित।
- 5- मु0अ0स10 390/19 धारा 457/380 भादवि थाना डीग जिला भरतपुर राजस्थान वांछित।
- 6- मु0अ0स10 425/19 धारा 458/380 भादवि थाना तिजारा जिला अलवर राजस्थान।

उक्त कुख्यात अपराधियों ने उत्तराखण्ड व अन्य प्रान्तों में भी जघन्य घटनायें कारित की हैं जिनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है।

**अपराध करने का तरीका-** अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोग छैमार जाति के घुमक्कड़ खाना बंदोश हैं हमलोगों का रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है 10-15 दिन के लिये किसी डेरा या रेलवे स्टेशन, मुस्लिम गांव के आस-पास अपने डेरे डालकर अपना ठिकाना बनाते हैं और दिन में घरों में जगह-जगह भीख मांगने के बहाने से अपराध करने के लिये घरों को चिन्हित करते हैं एवं घटना के आस-पास कस्बा में बस या रिक्शा आदि साधन करके पहुंचा जाते हैं तथा नजदीकी बाजार से घटना को अंजाम देने के लिये आरी, छेनी, हथौड़ा, टार्च व शराब आदि खरीदते हैं तथा चिन्हित स्थान के आसपास बाग में रात्रि में पहुंच कर वहां से डण्डे काटकर शराब चढ़ाकर मां काली की पूजा करते हैं इसके उपरांत अपने कपड़े चप्पल जूता वही पर उतार कर कच्चा बनियान में चिन्हित घरों में डकैती/चोरी की घटना करत हैं विरोध होने पर डण्डा एवं खतरा होने पर तमंचा का प्रयोग करते हैं। घटना करने के उपरांत पुनः कपड़े पहनकर ज्यादातर रेलवे लाइन के किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं सुबह होने पर किसी साधन के माध्यम से अपने डेरे व तम्बू में पहुंच जाते हैं।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

**प्रथम टीम-स्वाट टीम** 1.उ.निरी.कुलदीप दीक्षित प्रभारी स्वाट। 2.का0 68 सचेन्द्र सिंह 3.आरक्षी नवनीत कुमार 4.आरक्षी निशान्त 5.आरक्षी अजय तोमर 6- आरक्षी सुनील दुबे 7.आरक्षी रवी यादव 8.आरक्षी उवेश खान 9.आरक्षी जितिन त्रिपाठी 10.आरक्षी ललित कुमार 11-का0 432 अनुज तिवारी 12-राजवीर सिंह 13 नरेन्द्र।

**द्वितीय टीम- सर्विलांस टीम-**

1.निरी.सुरेश कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल 2. HC सत्येन्द्र कुमार 3. आरक्षी संदीप कुमार 4 अनुराग कुमार।

**तृतीय टीम-फतेहगढ़ पुलिस टीम**

1.प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह कोत.मोहम्मदाबाद 2.उ.निरी.राजेश कुमार 3- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र पाल सिंह जादौन 4- आरक्षी लल्लू भदौरिया 5- आरक्षी दीपक कुमार 6- आरक्षी शिववहादुर।

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ डा. अनिल कुमार मिश्र द्वारा उक्त चोरी/डकैती के गैंग को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को नकद 25 हजार रुपये की धनराशि से पुरुस्कृत करने की घोषणा की गयी।